Ministry Of Environment Forests & Climate Change
Government of India
National Transit Pass system
(National Portal for inter-state / intra-state movement of Timber, Bamboo and other Forest Produce)

Online Application for TP / NOC

Application ID : MP01908

Source State : Madhya Pradesh

i) **Species details** : Category - 2

(For Round Timber)

S.No.	Name of Species	No. of Logs	Middle Girth (cm)	Length(cm)	Volume (cum)
1	Madhuca Indica (Ippa, Mahwa, Mowa, Gul-Mohwa)	13	128.00	189.00	2.52
2	Mixed	13	115.00	163.00	1.75
3	Terminalia arjuna (Tellamaddi, vagumaddii,Arjun, Enamaddi, Neermaruthu)	15	95.25	160.00	1.36
4	Terminalia tomentosa (Ain, Nallamaddi, Innamaddi, Saja, Thembavu, Karimaruth)	5	116.00	312.00	1.31
5	Mixed	9	105.00	208.00	1.29
6	Eucalyptus tereticomis (Nilgiri,Eucalyptusteriticornis)	8	102.00	212.00	1.10
7	Mixed	9	81.50	190.00	0.71

(For Fuel Wood)

S.No.	Name of Species	Volume (cum)/ Weight (tonnes)	Unit
1	Mixed	6.00	Cum

Remarks : TOTAL LOG NO. = 72
TOTAL C.M.T = 16.066C.M.T

ii) **Produce (Source) Details**

Place From where it is obtained : Private Land

Survey Number/Patta No/Khasra No/Plot/Other Details : NH-47

State : Madhya Pradesh

Circle : Betul(T)

Division : Betul West(T)

Range : Chicholi

Address : JOGLI,BETUL ROAD, BETUL

Pincode : 460330

Location Details

S.No.	Latitude	Longitude
1	22.7385784	77.7260722

iii) Details of Destination

State : Madhya Pradesh

Circle : Bhopal(T)

Division : Bhopal(T)

Range : Flying Squad Bhopal

Pincode : 462023

iv) Others Details

Photo of the Forest Produced

S.No.	Photo of Forest Produce
1	Kindly refer to Photo of the Forest Produced - 1

Any Other document as required by State : Kindly refer to Any Other document as required by Statef

Document of felling order : Kindly refer to Document of felling order

v) Vehicle Details

Mode of transport : Truck

Name of the Driver : SHANSHA KHAN

Driver Licence Number : MP-0420210251898

Vehicle Number : MP04HE9668

Name of Vehicle Owner : RAFIQUE ULLA KHAN

Photograph of Vehicle with Registration number : Kindly refer to Photograph of Vehicle with Registration number

vi) Route Details

S.No.	State	District
1	MADHYA PRADESH	BETUL
2	MADHYA PRADESH	HOSHANGABAD
3	MADHYA PRADESH	BHOPAL

Photo of the Forest Produced - 1

Any Other document as required by State -

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

रा.प्र.क्र.:-0013/अ-62/2021-22,
मौजा जोगली तहसील चिचोली.

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

.............आवेदक

विरूद्ध

सर्वसाधारण,

:: आदेश ::
(पारित दिनांक 14-09-2021)

परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक:-CHW/10026/7/DPR-Gen-/Lot-1-Package 1/2017/12898 दिनांक 19-2-2018 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (हरदा बैतूल)के निर्माण में बाधक वृक्षो को काटने की अनुमति प्रदान करने के अनुरोध किया गया है, तथा परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा के पत्र क्रमांक:-NHAI/PIU/Harda/H-B/Pkg-III/NH-47/2021/545, दिनांक 13-8-2021 द्वारा विषयांकित के संबध में स्मरण कराते हुए, मौजा जोगली तहसील चिचोली के वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। तदानुक्रम अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा मौजा वार पृथक पृथक प्रकरण तैयार करके, प्रस्तुत किये गये है।

2- तहसीलदार चिचोली जिला बैतूल द्वारा, मौजा जोगली तहसील चिचोली में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 के निर्माण क्षेत्र मे आने वाले वृक्षो के संबंध में हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक तथा संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाया जाकर, मौके पर पाए गए काटे जाने योग्य 111 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षो की सत्यापित सूची अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के समक्ष प्रस्तुत करके उक्त वृक्षो को काटने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षो को काटने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा करते हुए प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3- कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक:- 1/2011/अधी./5498, दिनांक 15-6-2021 द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के तहत वृक्ष कटाई के प्रकरणो का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव प्रकरण में संलग्न संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा सत्यापित वृक्षो की सूची एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के प्रावधानो के तहत तथा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक:- एफ 2-12/2021/सात-7/423, दिनांक 29-7-2021 मे निहित निर्देशानुसार परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा को, आदेश के साथ संलग्न सूची के अनुसार मौजा जोगली तहसील चिचोली में स्थित 111 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्ष काटने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त सूची इस आदेश का अभिन्न अंग मानी जाएगी।

-2-

(1)- निर्माण एजेंसी, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण् कार्य के लिए प्रभावी नीति निर्देशो के अनुसरण में जारी निविदा की शर्तो के अनुसार नवीन वृक्षारोपण सुनिश्चित करेंगी।

(2)- संबंधित परियोजना यंत्री द्वारा क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार, के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में विहित प्रकिया का पालन करते हुए वृक्षो की कटाई की जायेगी। संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन वृक्षो को काटाने की अनुमति प्रदान की जा रही है केवल उन्हीं वृक्षो को काटा जाए, कोई अन्य वृक्ष नहीं काटा जाए।

(3)- वृक्षो की कटाई एवं परिवहन की दर का तथा कटाई से प्राप्त काष्ट के मूल्य निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जाकर इसकी जानकारी परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा (म.प्र.) को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि में कटाई व परिवहन के लिए निविदा आमंत्रित करने और नीलामी में सुविधा हो सके। नीलामी हेतु वन विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन के समतुल्य, आधार मूल्य (Upset Price) रखा जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि को तत्काल शासकीय खजाने में जमा कराया जायेगा।

(5)- आदेशानुसार वृक्षो की कटाई करवाने, नीलामी करवाने तथा नीलामी से प्राप्त राशि को शासकीय मद में जमा करवाने के लिये परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा (म.प्र.) उत्तरदायी रहेंगे।

(5)- शर्तो का उल्लंघन पाया जाने पर अनुमति स्वत: निरस्त मानी जाएगी ।

संलग्न:- वृक्षो की सूची

(जे.पी. सचान)
अपर कलेक्टर,
जिला-बैतूल.

पृ.क्र.:- 0013/अ-62/2021-22/ 9487 — बैतूल, दिनांक 15/09/2021

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य वन संरक्षक बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
2-वनमण्डलाधिकारी पश्चिम बैतूल सामान्य वनमण्डल ।
3-अनुविभागीय अधिकारी (रा.)बैतूल।
4- परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परि. क्रिया. ईकाई हरदा (म.प्र.)। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
5- तहसीलदार चिचोली जिला बैतूल।
6- वन परिक्षेत्राधिकारी चिचोली (सा.) परिक्षेत्र ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर कलेक्टर,
जिला-बैतूल

Document of felling order -

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

रा.प्र.क्र.:-0013/अ-62/2021-22,
मौजा जोगली तहसील चिचोली.

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

.............आवेदक

विरूद्ध

सर्वसाधारण,

:: आदेश ::
(पारित दिनांक 14-09-2021)

परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक:-CHW/10026/7/DPR-Gen-/Lot-1-Package 1/2017/12898 दिनांक 19-2-2018 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (हरदा बैतूल)के निर्माण में बाधक वृक्षो को काटने की अनुमति प्रदान करने के अनुरोध किया गया है, तथा परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा के पत्र क्रमांक:-NHAI/PIU/Harda/H-B/Pkg-III/NH-47/2021/545, दिनांक 13-8-2021 द्वारा विषयांकित के संबध में स्मरण कराते हुए, मौजा जोगली तहसील चिचोली के वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। तदानुक्रम अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा मौजा वार पृथक पृथक प्रकरण तैयार करके, प्रस्तुत किये गये है।

2- तहसीलदार चिचोली जिला बैतूल द्वारा, मौजा जोगली तहसील चिचोली में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 के निर्माण क्षेत्र मे आने वाले वृक्षो के संबंध में हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक तथा संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाया जाकर, मौके पर पाए गए काटे जाने योग्य 111 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षो की सत्यापित सूची अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के समक्ष प्रस्तुत करके उक्त वृक्षो को काटने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षो को काटने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा करते हुए प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3- कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक:- 1/2011/अधी./5498, दिनांक 15-6-2021 द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के तहत वृक्ष कटाई के प्रकरणो का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव प्रकरण में संलग्न संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा सत्यापित वृक्षो की सूची एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के प्रावधानो के तहत तथा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक:- एफ 2-12/2021/सात-7/423, दिनांक 29-7-2021 मे निहित निर्देशानुसार परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा को, आदेश के साथ संलग्न सूची के अनुसार मौजा जोगली तहसील चिचोली में स्थित 111 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्ष काटने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त सूची इस आदेश का अभिन्न अंग मानी जाएगी।

-2-

(1)- निर्माण एजेंसी, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण् कार्य के लिए प्रभावी नीति निर्देशो के अनुसरण में जारी निविदा की शर्तो के अनुसार नवीन वृक्षारोपण सुनिश्चित करेंगी।

(2)- संबंधित परियोजना यंत्री द्वारा क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार, के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में विहित प्रकिया का पालन करते हुए वृक्षो की कटाई की जायेगी। संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन वृक्षो को काटाने की अनुमति प्रदान की जा रही है केवल उन्हीं वृक्षो को काटा जाए, कोई अन्य वृक्ष नहीं काटा जाए।

(3)- वृक्षो की कटाई एवं परिवहन की दर का तथा कटाई से प्राप्त काष्ट के मूल्य निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जाकर इसकी जानकारी परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा (म.प्र.) को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि में कटाई व परिवहन के लिए निविदा आमंत्रित करने और नीलामी में सुविधा हो सके। नीलामी हेतु वन विभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन के समतुल्य, आधार मूल्य (Upset Price) रखा जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि को तत्काल शासकीय खजाने में जमा कराया जायेगा।

(5)- आदेशानुसार वृक्षो की कटाई करवाने, नीलामी करवाने तथा नीलामी से प्राप्त राशि को शासकीय मद में जमा करवाने के लिये परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा (म.प्र.) उत्तरदायी रहेंगे।

(5)- शर्तो का उल्लंघन पाया जाने पर अनुमति स्वत: निरस्त मानी जाएगी ।

संलग्न:- वृक्षो की सूची

(जे.पी. सचान)
अपर कलेक्टर,
जिला-बैतूल.

पृ.क्र.:- 0013/अ-62/2021-22/ 9487

बैतूल, दिनांक 15/09/2021

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य वन संरक्षक बैतूल की ओर सूचनार्थ ।
2-वनमण्डलाधिकारी पश्चिम बैतूल सामान्य वनमण्डल ।
3-अनुविभागीय अधिकारी (रा.)बैतूल।
4- परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परि. क्रिया. ईकाई हरदा (म.प्र.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
5- तहसीलदार चिचोली जिला बैतूल।
6- वन परिक्षेत्राधिकारी चिचोली (सा.) परिक्षेत्र ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर कलेक्टर,
जिला-बैतूल

Photograph of Vehicle with Registration number -

GOODS
मेरा भारत महान
CARRIER
TATA
MP 04
HE 9668